



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 573 राँची, शुक्रवार,

13 नवम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 अक्टूबर, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-79/2015 का०- 5344-- श्री कमल किशोर रवि, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-397/03), तत्कालीन अपर समाहर्ता, पलामू के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5171/रा0, दिनांक 16.11.2015 के माध्यम से आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक-125/गो0, दिनांक 28.10.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- ‘क’ में इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

आरोप सं0-1- कठौतिया कोल माईन्स के अंतर्गत 82.76 एकड़ भूमि जो जंगल-झाड़ी की थी, उसे गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में मे0 उषा मार्टिन, प्रा0लि0 को कोयला उत्खन्न के लिए आवंटित कर दी गई, जो नियम के विरुद्ध था।

आरोप सं0-2- अभिलेख में संलग्न खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वैसी भूमि को भी गैरमजरूआ प्रतिवेदित किया गया, जो जंगल-झाड़ी थी। खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति में TORN लिखा पाया गया है। खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति से TORN खतियान के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ ही था। खेसरा पंजी एवं चेक स्लीप के अवलोकन से पता चलता है कि जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि दिखाया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10430, दिनांक 09.12.2015 द्वारा श्री रवि से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-180, दिनांक 08.01.2016 द्वारा स्मारित किया गया, परन्तु इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

श्री रवि से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर मामले के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0-3876, दिनांक-11.05.2016 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प सं0-7840, दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री हक के स्थान पर श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-193, दिनांक-27.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

श्री रवि के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री रवि के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से आजीवन 10 प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्री रवि से द्वितीय कारण पृच्छा पूछने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत विभागीय पत्रांक-6276, दिनांक 17.05.2017 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक-9407, दिनांक 29.08.2017 द्वारा श्री रवि से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इनसे उत्तर अप्राप्त रहने पर दिनांक 26.11.2017 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री रवि को सात दिनों के अंदर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित करने का अंतिम अवसर दिया गया, फिर भी इनका उत्तर अप्राप्त रहा।

पुनः विभागीय पत्रांक-12312, दिनांक 16.12.2017 द्वारा श्री रवि के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत पेंशन से आजीवन 10% राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति की माँग की गई, जिसके आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-97, दिनांक 11.01.2018 द्वारा श्री रवि के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त उक्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के स्थान पर झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-139(ख) के अन्तर्गत कार्रवाई करने के बिन्दु पर विधि विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में श्री रवि के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-139(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से आजीवन 10% राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर कारण पृच्छा पूछने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक-2205, दिनांक 08.03.2019 द्वारा श्री रवि से झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-139(ख) के अन्तर्गत उनके पेंशन से आजीवन 10% राशि की कटौती का दण्ड

अधिरोपित करने के बिन्दु पर कारण पृच्छा की माँग की गई एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक- 5893, दिनांक 23.07.2019 द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया, परन्तु इनका उत्तर अप्राप्त रहा।

अतः, समीक्षोपरांत श्री कमल किशोर रवि, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 397/03), तत्कालीन अपर समाहर्ता, पलामू के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-139(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से आजीवन 10% राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
